

भारत के कारागारों में मौतें

प्रलिमिस के लिये:

भारत के कारागारों में मौतें, [कारागार सुधार पर सख्ती न्यायालय समिति, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो](#), वर्ष 2016 का मॉडल काराहर मैनुअल तथा वर्ष 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधनियम

मेन्स के लिये:

भारत के कारागारों में मौतें


स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [कारागार सुधार पर सख्ती न्यायालय समिति](#)ने बताया कि भारतीय कैदियों की अप्राकृतिकी मौतों के प्रमुख कारणों में से एक आत्महत्या है।

कारागार में होने वाली मौतों का वर्गीकरण:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशिती की जाने वाली प्रज्ञिन स्टैटसिटिक्स इंडिया रपोर्ट के अनुसार कारागार में होने वाली मौतों को प्राकृतिकी अथवा अप्राकृतिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - वर्ष 2021 में भारत में न्यायिक हारिसत में कुल 2,116 कैदियों की मौत हुई, जिनमें से लगभग 90% मामले में मौतों को प्राकृतिकी मौत के रूप में दर्ज किया गया।
- बढ़ती उम्र और बीमारियाँ प्राकृतिकी मृत्यु का प्रमुख कारण हैं। इन बीमारियों को हृदय रोग, एच.आई.वी., तपेदकि और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों में उप-वर्गीकृत किया गया है।
 - कारागारों में कैदियों की संख्या में वृद्धिके साथ-साथ, दर्ज की गई प्राकृतिकी मौतों की संख्या वर्ष 2016 में 1,424 से बढ़कर 2021 में 1,879 हो गई।
- अप्राकृतिकी मौतों का उप-वर्गीकरण इस प्रकार है:
 - आत्महत्या (फाँसी लगाने, ज़हर देने, खुद को चोट पहुँचाने, नशीली दवाओं की अधिक मात्रा लेने, विद्युत का झटका लगाने आदि के कारण)
 - सह-कैदियों के कारण
 - गोली लगाने से मौत
 - लापरवाही अथवा ज़्यादती के कारण मौत
 - आकस्मिक मौतें (भूकंप जैसे प्राकृतिकी आपदा, सरपदंश, ढूबना, दुर्घटनावश गरिना, जलने से चोट, दवा/शराब का सेवन आदि)।
 - सामान्य जनसंख्या में दर्ज की गई आत्महत्या की घटनाओं की तुलना में कैदियों में आत्महत्या की दर दोगुनी से भी अधिक पाई गई।



- As per data provided by States/UTs.

Deaths of Prison Inmates due to illness during 2021

कारागार में होने वाली मौतों की जाँच प्रक्रया:

- वर्ष 1993 के बाद से हरिसत में हुई मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर NCRB को दी जानी चाहयि, इसके बाद पोस्टमार्टम रपोर्ट, मजस्ट्रेट की पूछताछ की रपोर्ट, या पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी रपोर्ट भी दिया जाना अनविवार्य है।
- हरिसत में बलात्कार और मृत्यु के मामलों में [आपराधिक प्रक्रया संहति](#) के तहत कार्यकारी मजस्ट्रेट जाँच के अतिरिक्त अनविवार्य न्यायिक मजस्ट्रेट जाँच की भी आवश्यकता होती है।

जेल में कैदियों के मृत्यु की समस्या से निपटने हेतु प्रयासः

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1996 के एक फैसले में कैदियों के स्वास्थ्य के प्रतिसामाजिक दायतिव को स्पष्ट किया, क्योंकि "दोहरी समस्या" से पीड़ित हैं:
 - "कैदियों को स्वतंत्र नागरिकों की तरह चकितिसा वशिष्जन्ता तक पहुँच का लाभ नहीं मिलता है।
 - उनकी कैद की स्थितियों के कारण, कैदियों को स्वतंत्र नागरिकों की तुलना में अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- सरकारी प्रयासः**
 - [वर्ष 2016 का मॉडल जेल मैनुअल](#) और [वर्ष 2017 का मानसकि स्वास्थ्य देखभाल अधनियम](#), कैदियों के स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को रेखांकित करता है।
 - इनमें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रयाप्त नविश, मानसकि स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, उन्हें बुनियादी और आपातकालीन देखभाल प्रदान करने हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं ऐसी घटनाओं को कम करने के लिये आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।

- आत्महत्या के बढ़ते मामलों के संदर्भ में NHRC ने जून 2023 में राज्यों को सलाह जारी की, जिसमें बताया गया कि आत्महत्या और चकितिसा और मानसकि स्वास्थ्य दोनों समस्याओं के कारण होती है।
 - NHRC ने "जेल कल्याण अधिकारियों, परवीक्षा अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और चकितिसा करमचारियों" के पदों को भरने की सफिरशि की।

जेल में होने वाली मौतों से संबंधित NHRC की सफिरशि:

- आत्महत्या के प्रयासों को रोकना:
 - कैदियों की चादरों और कंबलों की नियमित जाँच और नगिरानी करने की सलाह दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वस्तुओं का उपयोग आत्महत्या के प्रयासों में नहीं किया जाता है।
- करमचारियों के लिये मानसकि स्वास्थ्य प्रशिक्षण:
 - जेल करमचारियों के बुनियादी प्रशिक्षण में मानसकि स्वास्थ्य साक्षरता का एक घटक शामिल किया जाना चाहिये। मानसकि स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर करमचारियों को सूचित और जागरूक रखने के लिये समय-समय पर पुनर्शरण पाठ्यक्रमों को लागू करने की भी सफिरशि की जाती है।
- नियमित अवलोकन और समर्थन:
 - कारा करमचारियों द्वारा कैदियों की नियमित नगिरानी आवश्यक है, साथ ही मनोवैज्ञानिक प्राथमिकि चकितिसा में प्रशिक्षित एक कैदी 'मतिर' का नियुक्तिकरण, ज़रूरतमंद कैदियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है।
- गेटकीपर मॉडल कार्यान्वयन:
 - कारागारों में मानसकि स्वास्थ्य देखभाल के सुदृढ़ीकरण के लिये [विश्व स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) द्वारा तैयार गेटकीपर मॉडल को अपनाया जाना चाहिये।
 - इसमें आत्महत्या के जोखमि वाले साथी कैदियों की पहचान करने के लिये सावधानीपूर्वक चयनति कैदियों को प्रशिक्षण देना शामिल है, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप और सहायता की सुवधा मिलती है।
- व्यसन संबंधी समस्याओं का समाधान:
 - कैदियों के बीच नशे की लत से निपटने के उपायों को लागू किया जाना चाहिये, जिसमें आवश्यक सहायता और मानसकि स्वास्थ्य देखभाल पेशवरों और नशामुक्ता विशिष्जतों द्वारा नियमित दौरे शामिल हैं।
- जीवन-कौशल शक्षिका और गतविधियाँ:
 - कैदियों के लिये जीवन-कौशल-आधारित शक्षिका, [योग](#), [खेल](#), [शलिप](#), नाटक, संगीत, नृत्य एवं उपयुक्त आध्यात्मिक वैकल्पिक धारामकि नरिदेश जैसी आकर्षक गतविधियाँ आयोजित की जानी चाहिये।
 - ये गतविधियाँ कैदियों की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रसारित करने और उनका समय रचनात्मक रूप से व्यतीत करने में मदद करती हैं। इसे सुवधाजनक बनाने के लिये प्रत्यक्षिति [गैर सरकारी संगठनों \(NGO\)](#) के साथ सहयोग की मांग की जा सकती है।

कारागार सांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:

- कारागारों की संख्या:
 - राष्ट्रीय स्तर पर कारागारों की कुल संख्या 1.0% की वृद्धि के साथ वर्ष 2020 में 1,306 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1,319 हो गई।
 - देश में सबसे अधिक कारागारों की संख्या राजस्थान (144) और उसके बाद तमिलनाडु (142), मध्य प्रदेश (131) में दर्ज की गई।
- क्षमता:
 - कारागारों की वास्तविक क्षमता वर्ष 2020 में 4,14,033 से बढ़कर वर्ष 2021 में 2.8% की वृद्धि के साथ 4,25,609 हो गई।
 - वर्ष 2021 में 1,319 कारागारों की कुल क्षमता 4,25,609 (लोग) में से केंद्रीय जेलों की क्षमता सबसे अधिक (1,93,536) थी, इसके बाद ज़िला कारागार और उप कारागार थे।
- दोषी कैदी:
 - दोषी कैदियों की संख्या वर्ष 2020 में 1,12,589 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1,22,852 हो गई, इस अवधिके दौरान 9.1% की वृद्धि हुई।
 - दसिंचर 2021 तक सबसे अधिक दोषी कैदी केंद्रीय कारागारों में बंद थे, उसके बाद ज़िला और उप कारागारों में बंद थे।
- विचाराधीन कैदी:
 - विचाराधीन कैदियों की संख्या वर्ष 2020 में 3,71,848 से बढ़कर वर्ष 2021 में 4,27,165 हो गई, इस अवधिके दौरान 14.9% की वृद्धि हुई।
 - 31 दसिंचर, 2021 तक 4,27,165 विचाराधीन कैदियों में सर्वाधिक विचाराधीन कैदी ज़िला कारागारों में बंद थे, इसके बाद केंद्रीय और उप कारागारों में बंद थे।
- बंदी:
 - बंदियों की संख्या वर्ष 2020 में 3,590 से घटकर वर्ष 2021 में 3,470 (प्रत्येक वर्ष 31 दसिंचर को) हो गई, इस अवधिके दौरान कुल 3.3% की कमी दर्ज की गई।
 - 31 दसिंचर, 2021 तक 3,470 बंदियों में से सर्वाधिक संख्या में बंदी केंद्रीय कारागारों में बंद थे, उसके बाद ज़िला और विशेष कारागारों में बंद थे।

आगे की राह:

- बदलती ज्ञानों और चुनौतियों के अनुरूप नीतियों की नियमति समीक्षा तथा अद्यतन करना ।
- कैदियों की बेहतर देखभाल और सहायता सुनिश्चिति करने के लिये कारागार कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता नियमाण में नियंत्रण की आवश्यकता है ।
- कारागारों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं लत प्रबंधन को बढ़ाने के लिये सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ।
- मानसिक स्वास्थ्य एवं लत से जुड़े कलंक को कम करने के लिये जागरूकता और समर्थन अभियानों को बढ़ावा देना, कारागार प्रणाली के अंदर अधिक सहानुभूतपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना ।
- कार्यान्वयिता उपायों की चल रही निगरानी और मूल्यांकन द्वारा समर्थित, उभरते रुझानों तथा प्रभावी हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहित करना ।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/deaths-in-india-s-prisons>

